

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

२६

सं०..... डी० एल० ए० समस्तीपुर

दिनांक

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-लखनीपुर महेशपट्टी, परगना-सरैया, राजस्व थाना-समस्तीपुर, थाना नं०-236, पुलिस थाना-उजियारपुर, अंचल-उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रस्तावित 220/132/33 के० वी० ग्रीड उपकेन्द्र (सब-स्टेशन) निर्माण के लिए पहुँच पथ हेतु सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-लखनीपुर महेशपट्टी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 0.317 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० अंश 5167, 5170 एवं 5168 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- सड़क

दक्षिण :- दरियापुर सिमाना

पूरब :- अंश खेसरा सं० 5170, 5167 एवं 5168


पश्चिम :- पूर्ण खेसरा सं० 5166 एवं 5165

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1961 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमण्डल, समस्तीपुर के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ० के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
समस्तीपुर।
12/8/13

अपर समाह्वता
समस्तीपुर।
14/8/13

समाह्वता
समस्तीपुर।

२० —
सरकार के अवर सचिव

(P.T.O)

ज्ञापांक...२६२१/ डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना,

दिनांक :- १५-११-१३

- प्रतिलिपि : (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

6/2
13/11/13
सरकार के अपर सचिव